

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 334] No. 334] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017 ⁄वैशाख 11, 1939

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2017

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप नियम मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सा.का.नि. 479(अ), तारीख 3 मई, 2016 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 3 मई, 2016 में प्रकाशित किये गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित करने की सम्भावना थी, उस तारीख से उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की समाप्ति का पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना में की प्रतियां जनता को 3 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के उपखंड (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2017 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 118 में, उप-नियम (1) के पहले परंतुक के, खंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी-11017/13/2005-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

2873 GI/2017 (1)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.िन. 271(अ), तारीख 21.03.2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2017

**G.S.R. 424(E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 479(E), dated the 3rd May, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd May, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 118, in sub-rule (1), in the first proviso, clause (iv) shall be omitted.

[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 271(E) dated the 21.03.2017.